(SL-76)

मानचित्र संख्या 558/95-96

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

देहरादून

दिनांक 16/9/95

श्री/श्रीमती/मै० जगदीश लाल कुकरेजा

बाम बाग, कौलागढ़ राजेन्द्र M 1253

नगर - देहरादून)

आपके प्रार्थना-पत्र दिनांक 01.8.95 के सन्दर्भ में आपको प्रस्तावित आपका मोहल्ला/ग्राम/कालोनी में Part of Kh. No. 20(M.) राजेन्द्र नगर स्थित निर्माण का संलग्न मानचित्र निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जाता है :—

१- यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से तीन वर्ष तक वैध है उसके बाद कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा

२- मानचित्र की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग या स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते हैं।

३- मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। प्रयोजन में परिवर्तन होने पर पूरा निर्माण अनधिकृत माना जायेगा।

४- यदि भविष्य में किसी विकास कार्य हेतु विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा तथा उक्त क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित किसी परियोजना विकास कार्य हेतु अतिरिक्त विकास शुल्क बिना किसी आपत्ति के जमा करना होगा ताकि उक्त क्षेत्र से प्राप्त विकास शुल्क से ही उक्त क्षेत्र का विकास कार्य सम्पादित किया जा सके।

५- जो क्षेत्र विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगा वहां शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।

६- दरवाजे तथा खिड़कियां इस तरह से लगाई जायेंगी कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़े न हो व किसी अन्य मकान की रोशनी व हवा को प्रभावित न करते हो।

७- बिजली की लाइन से ५ फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

८- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सदैव निर्माण स्थल पर ही रखनी होगी ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र स्पेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

९- सड़क सर्विसलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री, बिल्डिंग मैटिरियल नहीं रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का समुचित प्रबन्ध स्वयं करना होगा।

१०- निर्माण कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर आप निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करें। तदोपरान्त ही भवन को प्रयोग में लायेंगे।

११- निर्माण के अन्दर यदि कोई वृक्ष आता है तो उसके काटने से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

१२- पानी की निकासी के लिये बैड़ छोड़ना होगा।

१३- यदि अनुमति प्राप्त करने के बाद किसी भी समय उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट है कि उक्त अनुमति तथ्यों को छुपा कर अथवा फर्जी एवं जाली तथ्य प्रस्तुत करके प्राप्त की गई है तो उक्त अधिकारी को यह अधिकार हो कि उक्त अनुमति को निरस्त कर सकते हैं व उक्त मानचित्र के अन्तर्गत किया गया निर्माण अवैध माना जायेगा।

१४- इस मानचित्र की स्वीकृति को भूमि के स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जायेगा और किसी न्यायालय में केवल मानचित्र को भूस्वामित्व के साक्ष्य का आधार नहीं माना जायेगा।

१५- सीलिंग से विवादित भूमि, नजूल भूमि अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर यह स्वीकृती स्वतः निरस्त मान ली जायेगी।

१६- रोड वाइडनिंग के क्षेत्र में बाऊन्ड्रीवाल गेट अथवा अन्य किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।

१७- ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की कमी को देखते हुए १५ अप्रैल से ३० जून तक निर्माण नहीं किया जायेगा।

१८- पर्वतीय भू भाग में कोई हिल कटिंग नहीं की जायेगी।

१९- भवन निर्माण करते समय भूकम्प से सुरक्षात्मक तकनीक प्रयोग में लाना अनिवार्य होगा।

16.9.95

सचिव/उपाध्यक्ष

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून

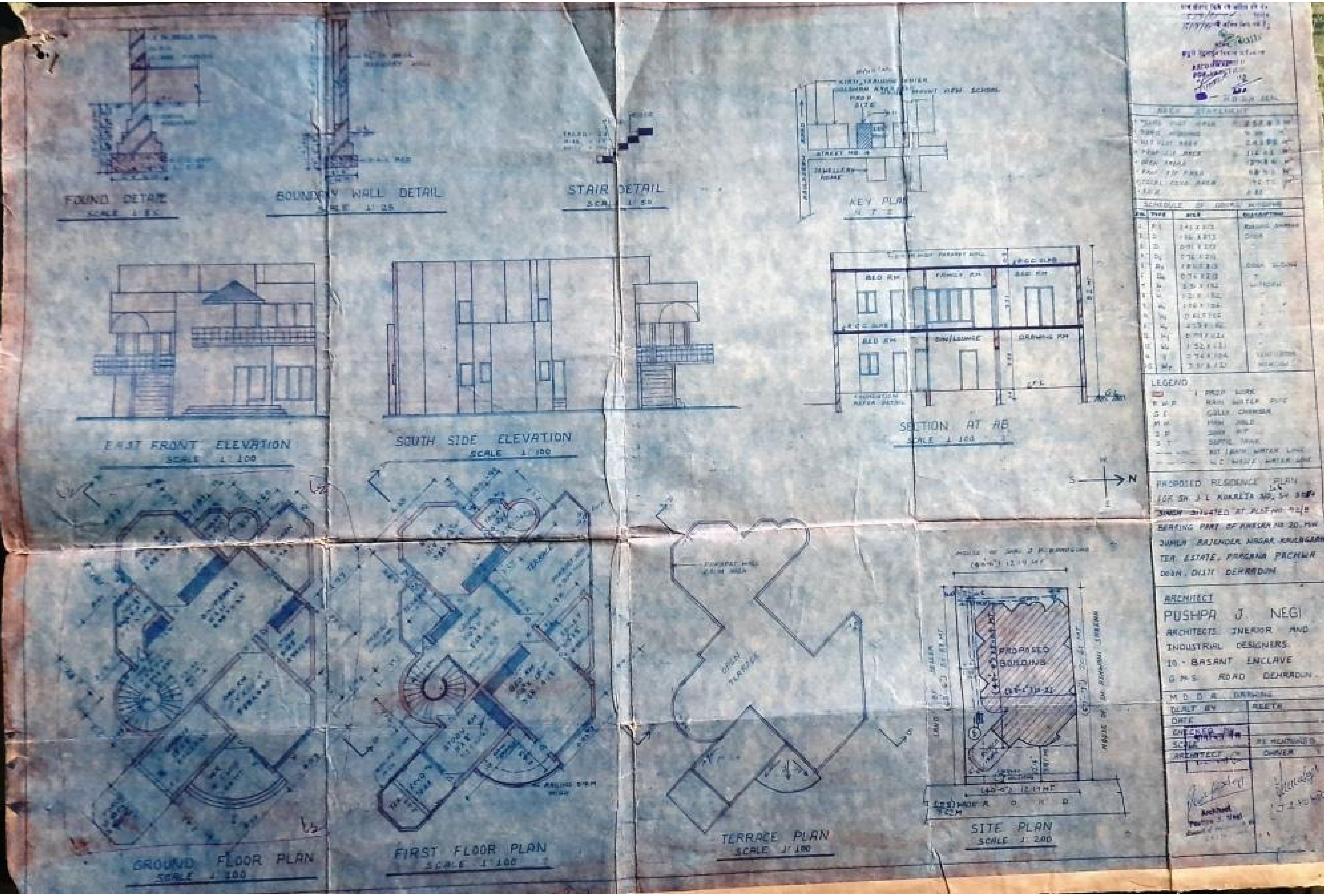

FOUND. DETAIL
BOUNDARY WALL DETAIL
SCALE 1:25
STAIR DETAIL
KEY PLAN
EAST FRONT ELEVATION
SCALE 1:100
SOUTH SIDE ELEVATION
SCALE 1:100
BED RM
FAMILY RM
BED RM
DRAWING RM
SECTION AT AB
SCALE 1:100
AREA STATEMENT
LEGEND
PROP. WORK
RAIN WATER PIPE
SEPTIC TANK
PROPOSED RESIDENCE PLAN
ARCHITECT
PUSHPA J NEGI
ARCHITECTS INERIOR AND
INDUSTRIAL DESIGNERS
10 - BASANT ENCLAVE
G.M.S. ROAD DEHRADUN.
M.D.D.A. DRAWING
DRAFT BY
REETA
DATE
CHECKED BY
SCALE
ARCHITECT
OWNER
OPEN TERRACE
PROPOSED BUILDING
GROUND FLOOR PLAN
SCALE 1:100
FIRST FLOOR PLAN
SCALE 1:100
TERRACE PLAN
SCALE 1:100
SITE PLAN
SCALE 1:200
ROAD